

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :

विषय:- समस्तीपुर जिलान्तर्गत संचालित अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास, समस्तीपुर में सामग्री के क्रय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मशीनें एवं उपस्कर मद से ₹46,77,500/- (छियालिस लाख सतहत्तर हजार पांच सौ रुपये) मात्र के व्यय हेतु उपावंटन के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की योजना है। अधिकांश जिलों में छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है। अल्पसंख्यक छात्रावासों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत उपस्करों का अधिष्ठापन का प्रावधान है। उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, समस्तीपुर के द्वारा अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास, समस्तीपुर में सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मशीनें एवं उपस्कर मद से ₹46,77,500/- (छियालिस लाख सतहत्तर हजार पांच सौ रुपये) मात्र के व्यय हेतु उपावंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। क्रय किये जाने वाले सामग्री की विवरणी निम्न प्रकार है:-

अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, समस्तीपुर हेतु सामग्री

क्र०	आवश्यक सामग्री	संख्या	उपावंटित राशि
1	छात्राओं के लिए बेड	40	43,00,000.00
2	स्टडी टेबल एवं कुर्सी	40	
3	अलमीरा	40	
4	बुक सेल्फ	40	
5	लाइब्रेरी चेयर	40	
6	लाइब्रेरी टेबल	40	
7	वाटर प्यूरीफायर	2	
8	सी०सी०टी०वी० डिस्प्ले के साथ	1 सेट	
9	टी०वी० 55" (टच बोर्ड टाईप)	2	
10	ऑल इन वन डेस्कटॉप	2	
11	प्रिंटर	2	
12	डायनिंग टेबल कुर्सी सेट	5	
13	मेस संचालन से संबंधित एवं अन्य उपस्कर	-	
योग			43,00,000.00

अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, समस्तीपुर हेतु सामग्री

क्र०	समग्रियों का नाम	संख्या	अधियाचित राशि
1	(8x2.5 फीट) लाइब्रेरी टेबल	15	₹3,77,500.00
2	पानी टंकी ऑटोमैटिक स्वीच	01	
योग			₹3,77,500.00
कुल योग			46,77,500.00

कृ०पृ०उ०

- D:\IBADATGAH - HOSTEL 16JUNE, 2017\14\14-16-2014 SAMASTIPUR\S.ORDER SAMASTIPUR.DOCX

1. इस राशि की निकासी के पश्चात् कुल दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय होने के पश्चात् अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
2. सामग्री आपूर्ति के पश्चात् जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा सामग्रियों की भौतिक रूप से गुणवत्ता की जाँचोपरांत संतुष्ट होने के पश्चात् ही भुगतान किया जाय।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- अ०स०क०-14-16/2014

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक- 31/08/26

ज्ञापांक- अ०स०क०-14-16/2014 335

प्रतिलिपि:- वरीय प्रभारी, बजट शाखा/ आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक 31/8